पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृति के उपरान्त रोज़गार की स्वीकार्यता) विनियमन, १९७८

सं. १०२६७- मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १२४ के साथ पठित धारा २८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करतेम हुये न्यासियों का बोर्ड एद्द्वारा नि नलिखित विनियमन करता है नामतः-

१. लघु शीर्षक :-

१) इन विनियमों को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृति के उपरान्त रोज़गार की स्वीकार्यता) विनियमन, १९७८ का नाम दिया जा सकता है।

२) ये सब केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि या तिथियों से प्रभावी होंगे।

२. आवेदन :-

ये विनियम, वर्ग-१ सेवा के अधीन आते सभी कर्मियों पर लागू होंगे।

३. परिभाषा :-

इन विनियमों में संदर्भगत आवश्यकताओं के अधीन -

ए) 'बोर्ड', 'चेयरमैन', का समान अर्थ होगा जैसा मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, १९६३ में दिया गया है।

बी) वर्ग-१ सेवा का मतलब उस वर्गीकृत सेवा से है जो पारादीप पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) विनियम, १९६७ के अधीन समय-समय पर बोर्ड द्वारा बताया गया।

सी) ''सक्षम प्राधिकारी'' के आशय इन विनियमों को उद्देश्य हतु चेयरमैन से होगा।

४. रोज़गार के लिये अनुमति :-

ए) सेवा निवृति से तत्काल पूर्व बोर्ड के अधीन वर्ग-१ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति (फिर चाहे वह पेंशन या बोर्ड के अंशदान भविष्य निधि विनियम के दायरे में ही क्यों न आता हो), वह बतौर ठेकेदार रोज़गार समेत या लोक कार्य संबंधी या ऐसे किसी ठेकेदार के बतौर कर्मचारी के रूप मं कोई रोज़गार स्वीकार नहीं करेगा, सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लिये बिना सेवा निवृति की तिथि से दो साल की अवधि समाप्त होने से पहले।

बी) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों में बंधा हो और उसने आवश्यक अनुमति न ली हो, को ऐसा कोई अनुबंध नहों दिया जाएगा। और अनुबंध की शर्तों में एक ऐसी शर्त जोड़ी जाएगी कि वहां वह अनुबंध रद्द हो जाए यदि या तो ठेकेदार खुद या उसका कोई भो कर्मचारी ऐसा व्यक्ति निकले जिस पर ये आदेश लागू होते हों और इसने आवश्यक अनुमति न ली हो।

सी) पेंशन निधि विनियम के दायरे में आते अधिकारियों को सेवानिवृति के लभ मंजूर किये जाते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रपत्र मं इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लिये बिना सेवा निवृति के दो साल के अन्दर रेज़गार स्वीकार नहीं करेंगे।

परिशिष्ट-२ प्रपत्र (ए)

नोट - यह शपथपत्र एक ऐसे गैर न्यायिक स्टा प पेपर पर देवा होगा जिस का खर्चा संबंधित सेवानिवृत हो रहे अधिकारी को देना होगा।

डी) चलन में, एक अधिकारी -

''किसी अन्य कानून के दायरे से अलग उपरोक्त प्रावधान में से किसी के चलन में लागू नियम और विनियम में एक अधिकारी -

१) पोर्ट के पेंशन नियमन के दायरे में आता अधिकारी उस अवधि के दौरान उस अधिकारी की पेंशन रोक सकता है जिसमें वह रोज़गार प्राप्त रहा या सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर ज्यादा अवधि के लिये,

बशर्ते संबंधित व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिये बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि वह अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश पारित होने के ३० दिनों क भातर बोर्ड के पास अपील कर सकता है।

बोर्ड उसकी अपील सुनेगा और ऐसा आदेश दे सकता है, जो उचित हो :

बशर्ते यह कि एक अधिकारी को उसकी सेवानिवृति से पूर्व तैयारी संबंधी अवकाश के दौरान ऐसा कोई रोज़गार हासिल करन की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उसे सेवा निवृति संबंधी निरन्तरता में नये सिरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ई) इन विनियमों के अधीन अनुमति प्रदान करने से पूर्व नि नलिखित पहलुओं पर गौर करना होगा :-

१) क्या वह अधिकारी प्रस्तावित नियोक्ता के साथ अपने सेवा काल के दौरान संपर्क में रहा, क्योंकि उससे यह संदेश पैदा होगा कि उसकी उसमें रुचि रही हो।

२) क्या उसकी ड्यूटी इस किस्म की रही कि उसकी विभागीय ज्ञान और अनुभव उसके नियोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने वाला होगा।

३) क्या उसकी ड्यूटी ऐसी है कि उनमें बोर्ड को हितों का टकराव होता हो।

४) क्या प्रस्तावित रोज़गार एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला है।

नोट १ - अनुबंधित रोज़गार या बोर्ड के साथ काम-काज प्रतिष्ठित रोज़गार की श्रेणी में नहीं आयेगा।

नोट २ - अनुमति दिये जाते समय, रोज़गार की पेशकश कर रही कंपनी की साख पर भी गौर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि पाया जाएगा कि उस क पनी को सरकार ने काली सूची में डाल रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे प्रतिष्ठित न मानते हुये रोज़गार के लिये उपयुक्त न माना जाये।

५) क्या वहां ऐसी कोई अपवाद रूपी परिस्थिति है जिसमें अनुमति से इनकार में बड़ी अड़चन आ रही हो?

एफ) बोर्ड के अभियंता विभाग के अधिकारियों के संदर्भ में, फिर चाहे वे कार्यकारी हों या शासकीय संबंधी, उन्हें ऐसे कामकाज की अनुमति दिये जाने हेतु उनके सेवा निवृति के दो साल के भीतर, फिर चाहे वे ठेकेदार हों या बोर्ड के कामकाज हेतु कार्यकारी किस्म क, या ऐसे कामकाज करने वाले ठेकेदारों के बतौर कर्मचारी हों, उन्हें अनुमति बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में दी जा सकती है और केवल विशेष परिस्थितियों में।

जी) सेवानिवृत्ति के दो साल के भीतर रोज़गार प्राप्ति की अनुमति का आवेदन ऐसे पपत्र पर देना होगा जो सक्षम प्राधिकारी परिशिष्ट-१ द्वारा दिया जाएगा।

५. अस्थाई अधिकारियों के संदर्भ में आवश्यक अनुमति :-

सेवा निवृति से तत्काल पहले वर्ग-१ के पद पर कार्यरत अधिकारी, फिर भले ही वह कार्यकारी या अस्थाई किस्म का ही क्यों न हो, उसे भी सेवा निवृति के बाद रोज़गार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

६. दो साल की अवधि से आशय :-

इन नियमों के तहत दो साल की अवधि से मतलब है कि यदि कोई अधिकारी बिना ब्रेक के उसी पद पर या किसी अन्य पद वर्ग-१ के पद पर सेवा निवृति के बाद दोबारा रोज़गार पाता है तो उसकी यह अवधि उसी दिन से मानी जाएगी, जब उसने बोर्ड की सेवाएं त्यागी थीं।

सत्यरंजन पाल

चेयरमैन

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

पारादीप पोर्ट

२४ अगस्त १९७८

परिशिष्ट-१

(विनियमन-४(जी) देखें)

सेवा निवृत्ति के बाद दो साल के भातर रोज़गार स्वीकार करने की अनुमति का आवेदन पत्र :-

१. अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)

२. सेवा निवृति की तिथि

३. सेवा निवृति से पहले अंतिम पांच साल के दौरान संबंधित अदिकारी के विभाग का ब्यौरा (अवधि के साथ)

विभाग का नाम	पद	अवधि (से)	तक
(१)	(२)	(३)	(४)

४. सेवा निवृति के समय पद का नाम और पदस्थ अवधि

५. पद का वेतनमान और सेवानिवृति के समय अधिकारी के द्वारा लिया गया वेतन।

६. सेवा निवृति के लाभ (१) पेंशन योजना के दायरे में :-

ए) अपेक्षित/मंजूरशुदा पेंशन (पत्राचार, यदि कोई है तो बताएं)

बी) ग्रेच्युटी, यदि कोई है

७. प्रस्तावित रोज़गार का ब्यौरा -

ए) फर्म/कंपनी/सरकारी समीति आदि का नाम

बी) क्या अधिकारी का उसके अधिकारिक काम काज के दौरान फर्म/कंपनो आदि के साथ कोई संपर्क था

सी) फर्म/कंपनी आदि के साथ आदिकारिक स पर्क की अवधि या प्रकृति

डी) नौकरी का नाम/पेश किया गया पद

ई) क्या पद का विज्ञापन दिया गया , यदि नहीं तो पेशकश कैसे हुई

एफ) नौकरी/पद की जि मेवारी का ब्यौरा

जी) क्या इसमें पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ कामकाज / अनुबंध कार्य शामिल है

एच) पद/नौकरी के लिये पेश किया गया पारिश्रमिक

८. अपने आवेदन के पक्ष में कोई ऐसी जानकारी, जो आवेदन कर्ता देना चाहे।

स्टेशन

तिथि ....

अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–२

(विनियम–४(सी) देखें)

शपथपत्र का प्रपत्र

प्रपत्र – ए

ट्रस्ट के पेंशन विनियम द्वारा शासित कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं :–

१. भारत के अन्दर या बाहर कोई रोज़गार स्वीकार नहीं करुंगा:

२. कोई अनुबंध या किसी जन कार्य के कामकाज के संदर्भ में करार नहीं करुंगा:

३. ऐसा अनुबंध हासिल करने वाले किसी ठेकेदार का कर्मचारी नहीं बनूंगा :

सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति लिये बिना अपनी सेवा निवृति की तिथि से दो साल की अवधि तक, चलन को अनुरूप में ऐसा कोई रोज़गार पावे की अवधि से दौरान अपनी पेंशन त्याग दूंगा या उस ल बी अवधि के लिये जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित की जाएगी।

अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाह:–

१)

२)

गवाह